न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 04.07.2023
वाद संख्याः 07/2022

1. अरसद
2. इरसाद } पिसरान स्व. इब्राहीम
3. रासिद
4. जलफीना } पुत्रीयान स्व. इब्राहीम
5. अरसीदा
6. हसीना पत्नी स्व. इब्राहीम

जातियान मेव निवासी उदयपुर निहाम हाल आबाद हाथिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ.प्र.)।

——अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत जलालपुर, तहसील नगर हाल तहसील सीकरी।
2. सचिव ग्राम पंचायत जलालपुर, तहसील नगर हाल तहसील सीकरी।

——रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 721 ग्राम पंचायत जलालपुर तह0 नगर हाल तहसील सीकरी।

उपस्थितः—

1. श्री मुबीन खांन अधिवक्ता अपीलान्टस।

निर्णय

यह अपील अपीलान्टस ने इस आशय की संस्थित की कि आराजी खसरा नंबर 85/0.28, 229/0.03, 553/0.32, 235/0.19, 238/0.18, 528/0.28, 558/0.25, 559/0.11, 369/0.41, 84/0.55, 86/1.05 बाके ग्राम उदयपुर निहाम तहसील सीकरी में अवस्थित है। आराजी खसरा नंबर 85/0.28, 229/0.03, 553/0.32, 235/0.19, 238/0.18, 528/0.28, 558/0.25, 559/0.11, 369/0.41, 84/0.55, 86/1.05 बाके ग्राम उदयपुर निहाम तहसील सीकरी अपीलान्टस संख्या 01 लगायत 06 के पिता व पति इब्राहीम की खातेदारी की आराजी थी, अपीलान्टस का पिता अरसा करीब फौत हो गया है एवं अपीलान्टस के पिता इब्राहीम के फौत हो जाने के पश्चात मात्र अपीलान्टस ही उसके विधिक वारिसान हैं। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा दौराने विरासत नामान्तरकरण जो मृतक इब्राहीम के वारिसान का सजरा दर्शाया है वह सरासर गलत है मृतक इब्राहीम के मुबीना नाम की कोई भी पुत्री नहीं है, हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज०

जलालपुर द्वारा किसी प्रकार की जांच पडताल किये ये नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो कानूनन गलत है मृतक इब्राहीम के मात्र अपीलान्टस ही विधिक वारिसान है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था। अतः अपीलान्टस नामान्तरकरण संख्या 721 को खारिज करा पाने के अधिकारी हैं तथा मृतक इब्राहीम के वारिसान की सही जांच करने एवं नामान्तरकरण पुनः दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। नामान्तरकरण संख्या 721 में राजस्व कर्मचारियों ने स्पष्ट कथन किया है कि कैम्प में मृतक के वारिसान की रिपोर्ट सम्पन्न हो सकी है, बावजूद इसके ग्राम पंचायत जलालपुर ने विधि विरूद्ध नामान्तरकरण दर्ज किया है जिसे अपीलान्टस निरस्त करा पाने के अधिकारी हैं। अंत में अपीलान्टस ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जलालपुर द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 721 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक के वारिसान अपीलान्टस के नाम दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। चूंकि नामान्तरकरण को निर्णित हुए काफी समय गुजर चुका है परन्तु अपीलान्टस को ग्राम पंचायत जलालपुर द्वारा विधि विरूद्ध निर्णित किये गये नामान्तरकरण की जानकारी देरी से होने के कारण म्याद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अपीलान्टस की अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.03.2020 को रेस्पोडेन्टस के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्टस की अनुपस्थिति दर्ज की गई। तहसीलदार तहसील सीकरी से मूल नामान्तरकरण संख्या 721 तलब किया गया।

अपीलान्टस ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत हाथिया तह0 गोवर्धन (मथुरा) का वारिसान का घोषणा पत्र, मृतक इब्राहीम का मृत्यू प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण संख्या 721 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा मृतक के वारिसान का घोषणा पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं।

पत्रावली की बाबत वकील अपीलान्टस की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने अपनी बहस में कथन किया गया कि मृतक एवं अपीलान्टस ग्राम हाथिया पो. हाथिया तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ.प्र.) के निवासी हैं एवं अपीलान्टस के पति एवं पिता इब्राहीम की मृत्यू भी ग्राम एवं ग्राम पंचायत हाथिया तह0 गोवर्धन जिला मथुरा में ही हुई थी। मृतक इब्राहीम के फौत होने के उपरान्त मृतक के नाम दर्ज आराजी की बाबत विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत जलालपुर को ग्राम पंचायत हाथिया तह0 गोवर्धन से मृतक के वारिसान की बाबत रिपोर्ट लेनी चाहिए थी परन्तु ग्राम पंचायत ने मृतक के वारिसान की सही जांच किए बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जिसमें मुबीना पुत्री इब्राहीम जाति मेव को विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया है, जबकि मृतक इब्राहीम के मुबीना नाम की कोई भी संतान नहीं थी जो ग्राम पंचायत हाथिया तह0 गोवर्धन के घोषणा पत्र एवं तहसीलदार तहसील गोवर्धन के मृतक के वारिसान की बाबत घोषणा पत्र से साबित होता है। अतः ग्राम पंचायत जलालपुर द्वारा बिना सम्पूर्ण जांच किए दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 721 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक के सही वारिसान (अपीलान्टस) के नाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये जावें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सीकरी (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

निर्णयः— अपील नामान्तरकरण
अरसद बगै0 बनाम सरपंच ग्रा.पं. जलालपुर
मिसल नंबरः— 07/22

वकील अपीलान्टस की बहस पर मनन किया गया एवं अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत पत्रावली, ग्राम पंचायत हाथिया द्वारा प्रस्तुत मृतक के वारिसान का घोषणा पत्र, तहसीलदार तहसील गोवर्धन जिला मथुरा द्वारा प्रस्तुत मृतक के वारिसान का घोषणा पत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत जलालपुर का नामान्तरकरण संख्या 721 का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व कर्मचारियों ने स्पष्ट दर्ज किया है कि मृतक के वारिसान संबंधी जांच सम्पन्न नहीं हो पाई है इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत जलालपुर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। चूंकि मृतक इब्राहीम के मृत्यू प्रमाण पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक इब्राहीम की मृत्यू ग्राम हाथिया तह0 गोवर्धन में हुई हैं एवं अपीलान्टस ग्राम हाथिया के निवासी हैं अतः मृतक के वारिसान की बाबत जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत हाथिया ली जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 721 ग्राम पंचायत जलालपुर तहसील सीकरी को निरस्त फरमाया जाता है तथा मूल नामान्तरकरण संख्या 721 ग्राम पंचायत जलालपुर तहसीलदार सीकरी को प्रेषित करते हुए तहसीलदार सीकरी को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 85/0.28, 229/0.03, 553/0.32, 235/0.19, 238/0.18, 528/0.28, 558/0.25, 559/0.11, 369/0.41, 84/0.55, 86/1.05 बाके ग्राम उदयपुर निहाम तहसील सीकरी पर मृतक इब्राहीम के स्थान पर अपीलान्टस के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग) राज0 सत्यमेव जयते